क्रम सं०	स्थान
14	दुर्गापुर
15	जमशेदपुर
16	बालाशोर
17	गोहाटी
18	हल्दिया
19	बरौनी
20	राजकोट
21	हाजिरा
22	भोपाल
23	कोयाली
24	बंगलौर
25	सलेम
	इंडियन आयल कारपोरेशन से संयोजित संयंत्र
26	कोचीन रिफाइनरीज लि०, कोचीन
27	मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास
28	आयल इंडिया लि०, डुलियाजान

मानव अंगों की बिक्री

854. **डा० अनवार अहमद खान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 19 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इण्डिया टुडे" के 15–31 जुलाई, 1990 के अंक में प्रकाशित उस उल्लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि मानव शरीर के अंगों जैसे गुर्दों, आंख, और खाल आदि का व्यापार हो रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यापार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो गुर्दों और आंखों की खरीद फरोक्त में शामिल थे, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उन डाक्टरों को जो गुर्दे का प्रत्यारोपण करते हैं तथा उन अस्पतालों जहां गुर्दे का प्रत्यारोपण किया जाता है लाइसेंस देने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार के पास उन विदेशियों शियों का कोई लेखा-जोखा है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में गुर्दों का प्रत्यारोपण कराया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सरकार ने 15–31 जुलाई, 1990 के "इंडिया टुडे" अक में छपा लेख देखा है और उसे मानव अंगों के अवैध रूप से हो रहे व्यापार की जानकारी है। मानव अंगों के व्यापार को विनियमित करने की दृष्टि से सरकार अब विस्तृत कानून बनाने पर विचार कर रही है जो देश भर में लागू होगा। इस प्रस्तावित कानून में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को मानव अंगों को हटाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे वाले अस्पतालों को

अधिसूचित करने और गुर्दे का प्रत्यारोपण करने, आर्थिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिए मानव अंगों की बिक्री करने और जीवित व्यक्तियों से उनके मानव अंगों (जैसे गुर्दा) को केवल उनके संबंधियों को स्वेच्छा से दान देने को बढ़ावा देने की शक्ति देना शामिल है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने विदेशियों ने अपने गुर्दे प्रतिरोपित कराए है, उनकी संख्या के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

Damages to the Central Research Institute for Yoga

855. SHRI AJIT P. K. JOGI:
KUMARI ALIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the news-item which appeared in the 'Indian Express' of the 27th March, 1990 under the caption 'Yoga Institute Ransacked" and whether it is a fact that the Director of Central Research Institute for Yoga has dumped sophisticated equipment worth Rs. 30 lakhs in the open compound of its premises;

(b) if so, whether some official has been assigned the duty for assesing the damage done to the equipments lying in the open;

(c) if so, how much wastage of Government funds has been done in this sordid happening;

(d) if so, whether any F.I.R. has been lodged by this Ministry againt the Director of the Institute for wastage of public funds;

(e) whether any action has been taken by Government against the Director of the Institute in this regard; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) to (f) Government have noted the news item under the caption "Yoga Institute Ransacked" in the Indian Express of 27th March, 1990. On receipt of intimation, senior Officers of this Ministry had visited Central Research Institute for Yoga (CRIY) and they, in their report *inter-alia* indicated that certain equipments of CRIY were shifted in a very haphazard and unplanned manner. Accordingly, the possibility of damage to the equipments could not be ruled out. On being asked by the Ministry to clarify the position, the Director of the Institute however, stated that no loss/damage had occurred to the property of the the institute at the time of its shifting. The question of destruction and moving of some of the assets of CRIY has been referred to C.B.I. for investigation and report.

Payment of arrear of salares to the employees of Central Research Institute for yoga

856. SHRI AJIT P. K. JOGI:
KUMARI ALIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4002 given in the Rajya Sabha on the 31st August, 1988 and to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Central Research Institute for Yoga are yet to get arrears on account of implementation of Fourth Central Pay Commission's Recommendations;

(b) whether it is also a fact that they are yet to get their salaries from January, 1990 onwards and bonus for the years 1987-88 and 1988-89; and

(c) if so, what ae the reasons for such non-payment and whether Government propose to pay their arrears and salaries if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The payment of arrears on account of implementation of Fourth Pay Commission's recommendation as